



2026:AHC-LKO:17481

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या- 8266 वर्ष 2025

राजेन्द्र प्रताप गिरि

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : श्रीधर अवस्थी, अखिलेश कुमार यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-7

माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीधर अवस्थी द्वारा सहायता प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप सेठ तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान राज्य अधिवक्ता श्री वी. के. बाजपेयी को सुना गया।

2. यह याचिका दिनांकित 27.02.2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के संबंध में याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन अस्वीकार कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इससे पूर्व भी याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 1293 वर्ष 2025 दायर किया था, जिसका निस्तारण दिनांकित 30.01.2025 के आदेश द्वारा करते हुए संबंधित प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। उसी के अनुपालन में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसी पदोन्नति हेतु विचार के संबंध में दिनांकित 27.09.2019 का शासनादेश, जिसे दिनांकित 04.10.2019 के शासनादेश के साथ पढ़ा जाना है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लागू किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांकित 27.09.2019 का शासनादेश पदोन्नति हेतु विचार की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली निर्धारित करता है, जिसमें वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त शासनादेश में 100 में से 80 अंकों का मानदंड निर्धारित है, जिसे पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त शासनादेश के अवलोकन से वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के संबंध में दिए जाने वाले अंकों का प्रावधान स्पष्ट होता है और उक्त शासनादेश के प्रस्तर 7 पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के लिए दिए गए अंकों के अतिरिक्त, उक्त प्रस्तर में उल्लिखित क्षमता, योग्यता, तकनीकी ज्ञान, विशेष प्रविष्टियों आदि से संबंधित पहलुओं के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अतिरिक्त अंक प्रदान करना तथा उन पहलुओं पर विचार करना भी आवश्यक है।

5. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान वाद में, तथापि, याचिकाकर्ता की पदोन्नति हेतु अभ्यर्थिता केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दी गई कि वह 80 अंकों के न्यूनतम मानदंड को प्राप्त करने में असफल रहा, जबकि दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7 में उल्लिखित पहलुओं पर विचार नहीं किया गया।

6. उन्होंने दिनांकित 04.10.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 9 और अनुसूची-I का भी उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि अनुसूची उस प्रारूप को दर्शाती है जिसे विभागीय पदोन्नति समिति को भेजा जाना आवश्यक है। प्रारूप-4 के अंतर्गत दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7 के अनुसार टिप्पणियाँ भी की जानी अपेक्षित हैं, किंतु याचिकाकर्ता के संबंध में ऐसा कोई विचार नहीं किया गया।

7. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रति-शपथपत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन किया और प्रस्तुत किया कि दिनांकित 27.09.2019 तथा 04.10.2019 दोनों शासनादेशों में योग्यता-आधारित चयन का प्रावधान है, जिसके लिए 80 अंकों का मानदंड निर्धारित किया गया है। केवल वे अभ्यर्थी अथवा कर्मचारी, जो 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं और वास्तविक रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में सम्मिलित किए जाते हैं।

8. यह प्रस्तुत किया गया कि चयन वर्ष 2022-23 के लिए चयन समिति की बैठक दिनांकित 27.09.2022 को हुई और पूर्ववर्ती दस वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के आधार पर



एक गणना-पत्र तैयार किया गया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने केवल 73.65 अंक प्राप्त किए, जो निर्धारित 80 अंकों के मानदंड से कम थे और इसलिए उसे अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

9. अतः प्रस्तुत किया गया कि चूँकि याचिकाकर्ता 80 अंकों का मानदंड प्राप्त करने में असमर्थ रहा, इसलिए पदोन्नति हेतु विचार से उसकी अभ्यर्थिता को बाहर करने में कोई त्रुटि नहीं है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात्, निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होता है :-

(i) क्या दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7) में उल्लिखित प्रावधानों को 80 अंकों के मानदंड का निर्धारण करने के लिए अथवा उसके पश्चात् ध्यान में रखा जाना आवश्यक है?

11. उपर्युक्त पहलू के संबंध में दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के अवलोकन से पदोन्नति हेतु कर्मचारियों पर विचार किए जाने के लिए अपेक्षित पहलू स्पष्ट होते हैं। शासनादेश में यह प्रावधान है कि योग्यता निर्धारित करने के प्रयोजन से सम्पूर्ण सेवाकाल की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को देखा जा सकता है, जिसमें पूर्ववर्ती दस वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसमें यह भी दर्शाया गया है कि वरिष्ठता के अतिरिक्त योग्यता भी विचारणीय पहलू है और इसी प्रयोजन से ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार करने के लिए एक मानदंड निर्धारित किया जाना है जो उपयुक्त हैं और जिन्होंने 80 अंकों के मानदंड से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

12. दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 3(2) में यह भी उल्लेखित है कि 'मानदंड' को यांत्रिक ढंग से लागू नहीं किया जाना है और अपनाई जाने वाली विधि एवं प्रक्रिया चयन समिति की सामूहिक बुद्धिमत्ता के अनुसार उसके विवेकाधिकार में होगी तथा संख्यात्मक पहलू चयन समिति को उपयुक्त अभ्यर्थियों पर विचार करने से बाध्य नहीं करेंगे।

13. इसके पश्चात् शासनादेश का प्रस्तर 7 अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम मानदंड अंक प्राप्त करने के प्रयोजन से अंक प्रदान करने की विधि निर्धारित करता है।

14. वर्तमान रिट याचिका के निर्णय के प्रयोजन से उक्त शासनादेश के प्रस्तर 7 का उप-प्रस्तर (7) प्रासंगिक है। उप-प्रस्तर (7) इस प्रकार है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(7) संबंधित कार्मिक की सत्यनिष्ठा, नेतृत्व प्रदान करने व त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, तकनीकी/विषय-ज्ञान, विशिष्ट उपलब्धियों/योगदान, कार्य को सुगमता से निष्पादन की क्षमता, विशेष प्रविष्टियों, व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध अन्य अभिलेखों एवं विभागीय पदोन्नति समिति के संज्ञान में लाये गये अन्य तथ्यों के आधार पर भी चयन समिति द्वारा संबंधित कार्मिक के अंक घटाये या बढ़ाये जा सकते हैं। इसके लिए तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख विभागीय चयन समिति द्वारा अवश्य किया जायेगा।”

15. यह एक प्रासंगिक तथ्य है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर 7(11) में यह प्रावधान है कि शासनादेश के प्रस्तर 7 के उप-प्रस्तर (1) से (10) में उल्लिखित सभी मानदंड निर्धारित किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की गणना यह निर्धारित करने के लिए की जानी है कि उसने मानदंड प्राप्त किया है अथवा नहीं। प्रासंगिक उप-प्रस्तर इस प्रकार है :-

“7(11) उपर्युक्त उप प्रस्तर-1 से 10 के आधार पर 100 अंकों में से 80 अंक का मानदंड निर्धारित करते हुए 80 या 80 से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी/कार्मिक को 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए, वास्तविक रिक्तियों की उपलब्धता की सीमा तक, उनकी पोषक संवर्ग की वरिष्ठता के क्रम में, चयन सूची में शामिल किया जायेगा तथा उनकी पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता के आधार पर उनके पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जायेंगे। ज्ञातव्य हो कि 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों के मध्य मेरिट के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। अर्थात् चयनित अधिकारियों का अधिक्रमण नहीं होगा। 80 अंक से कम पाने वाले अभ्यर्थियों को अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यदि 80 अंक के मानदंड के आधार पर रिक्तियों की संख्या के अनुरूप 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत कार्मिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो समिति उक्त 80 अंक के मानदंड को घटाने हेतु सक्षम होगी।”

16. अतः उक्त प्रस्तर 7 के उप-प्रस्तर (11) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शासनादेश के प्रस्तर 7 के उप-प्रस्तर (1) से (10) में उल्लिखित अंक प्रदान करने के मानदंडों का अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की गणना पर प्रभाव पड़ेगा, ताकि पदोन्नति हेतु विचार किए जाने की उसकी उपयुक्तता तथा मानदंड प्राप्त करने का निर्धारण किया जा सके।



17. अतः शासनादेश के प्रस्तर 7 के उप-प्रस्तर (11) की भाषा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि शासनादेश के प्रस्तर 7 के उप-प्रस्तर (7) में उल्लिखित शर्तें भी किसी विशेष अभ्यर्थी से संबंधित मानदंड निर्धारित करने के प्रयोजन से ध्यान में रखी जाने वाली शर्तों में से एक होंगी।

18. उक्त पहलू को दिनांकित 04.10.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 9 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है :-

“(9) उपयुक्त के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/2019/13(2)/2007/का-1-2019, दिनांकित 27.09.2019 के प्रस्तर-7 में उल्लिखित सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आलोक में संलग्न प्रारूप-4 पर पात्र अधिकारियों के अंकों एवं सुसंगत तथ्यों का अधिकारीवार विवरण भी उपलब्ध कराया जाय।”

19. उक्त प्रस्तर दिनांकित 04.10.2019 के शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप-4 की ओर संकेत करता है, जिसमें विशेष रूप से वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अतिरिक्त प्रासंगिक पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

20. दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7), 7(11) तथा दिनांकित 04.10.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 9 को प्रारूप-4 के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह न्यायालय इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचता है कि दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7) में उल्लिखित शर्तों को भी मानदंड निर्धारित करने के प्रयोजन से अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की गणना करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।

21. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन केवल इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि पूर्ववर्ती दस वर्षों की वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अनुसार उसने 80 अंकों के मानदंड से कम अंक प्राप्त किए थे और इसलिए उसे अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

22. अतः यह स्पष्ट है कि दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7) में जिन पहलुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित था, उन पर प्रत्यर्थीगण द्वारा विचार नहीं किया गया और उन्होंने केवल वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों के अनुसार प्राप्त अंकों पर ध्यान केंद्रित किया।

23. दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश की व्याख्या के संबंध में उद्देश्यपरक व्याख्या का सिद्धान्त लागू होगा। उक्त सिद्धान्त का तात्पर्य यह है कि किसी अधिनियम या प्रावधान की व्याख्या उसके आशय को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए, जो सार्थक हो तथा उस आशय



के उद्देश्य और अभिप्राय को पूरा करता हो। यह सिद्धान्त यह भी दर्शाता है कि किसी प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ इस प्रकार ग्रहण किया जाना चाहिए जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो तथा जिस दोष का निवारण वह करना चाहता है, उसका निराकरण किया जा सके। संदर्भ में अधिनियम या प्रावधान को उसके संपूर्ण रूप में तथा आसपास की परिस्थितियों के साथ पढ़ना सम्मिलित है, ताकि उसका आशय नीति के अनुरूप हो और उसे सार्थक उद्देश्य प्रदान किया जा सके। उपर्युक्त सिद्धान्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवेक नारायण शर्मा एवं अन्य (विमुद्रीकरण वाद-5 जे) बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2023) 3 एससीसी 1 में निम्नलिखित रूप में प्रतिपादित किया है :-

“137. किसी अधिनियम की व्याख्या विधायी आशय को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। वह सार्थक होनी चाहिए। ऐसी व्याख्या को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से असंगत परिणाम उत्पन्न करे, बल्कि ऐसी व्याख्या अपनाई जानी चाहिए जो विधायी आशय के उद्देश्य और अभिप्राय को पूरा करे।”

“148. अतः यह स्पष्ट है कि यह एक स्थापित सिद्धान्त है कि व्याख्या का आधुनिक दृष्टिकोण व्यावहारिक है, न कि रूढ़िवादी। ऐसी व्याख्या को अपनाया जाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाए और उसके सुचारु एवं सामंजस्यपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करे; जबकि ऐसी व्याख्या से बचना चाहिए जो असंगति, भ्रम, टकराव या विरोधाभास उत्पन्न करे अथवा उसके विभिन्न प्रावधानों के बीच संघर्ष उत्पन्न करे, या अधिनियम की मूल योजना और उद्देश्य को कमजोर, विफल अथवा नष्ट करने की प्रवृत्ति रखती हो। किसी विधि की व्याख्या करते समय न्यायालय का प्राथमिक और सर्वोपरि कार्य विधायिका के वास्तविक या आरोपित आशय का पता लगाना है। आशय निर्धारित हो जाने के पश्चात् न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विधि की ऐसी व्याख्या करने का प्रयास करे जिससे अधिनियम का उद्देश्य और अभिप्राय आगे बढ़े। इस प्रयोजन से, जहाँ आवश्यक हो, न्यायालय इस नियम से भी हट सकता है कि स्पष्ट शब्दों की व्याख्या उनके स्पष्ट अर्थ के अनुसार ही की जानी चाहिए। भाषा की स्पष्टता के समक्ष निष्क्रिय और मौन समर्पण आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष अन्याय, असामान्यता या असंगति से बचने अथवा किसी विधि को अवैध ठहराए जाने से बचाने के लिए न्यायालय तथाकथित स्वर्णिम व्याख्या के नियम से हटकर अधिनियम के उद्देश्य और अभिप्राय को प्रभावी कर सकता है। विधायी आशय का निर्धारण वैधानिक व्याख्या का मूल नियम है।”



24. इसी प्रकार, एक्स बनाम प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य, (2023) 9 एससीसी 433 के वाद में उद्देश्यपरक व्याख्या के नियम को निम्नलिखित रूप में प्रतिपादित किया गया है :-

“31. विधियों की व्याख्या का मूल सिद्धान्त विधायिका के आशय तथा अधिनियम के वास्तविक विधिक अर्थ की पहचान करना है। विधायिका का आशय विधि में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ पर विचार करके प्राप्त किया जाता है, ताकि अधिनियम के उद्देश्य या प्रयोजन, उस दोष और उसके अनुरूप उस उपचार को समझा जा सके जिसे अधिनियम वास्तविक रूप देने के लिए बनाया गया है। [जस्टिस जी.पी. सिंह, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैच्यूटरी इंटरप्रीटेशन, (लेक्सिस नेक्सिस, 2016), पेज 12; स्टेट ऑफ एच.पी. बनाम कैलाश चंद महाजन, 1992 सप (2) एससीसी 351: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 874; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एल्फिंस्टन स्पग. एंड डब्ल्यूवीजी. कंपनी लिमिटेड, (2001) 4 एससीसी 139] सामान्यतः विधायिका द्वारा नियोजित भाषा बदलती आशय का संकेत देती है। कनाई लाल सूर बनाम परमनिधि साधुखान [कनाई लाल सूर बनाम परमनिधि साधुखान, 1957 एससीसी ऑनलाइन एससी 8: एआईआर 1957 एससी 907] में न्यायमूर्ति गजेन्द्रगडकर ने मत व्यक्त किया कि 'व्याख्या का प्रथम और प्राथमिक नियम यह है कि विधायिका का आशय स्वयं विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्दों में खोजा जाना चाहिए।' किंतु जब शब्द दो या अधिक व्याख्याओं को ग्रहण करने में सक्षम हों, तो उनकी व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में की जानी चाहिए। प्रावधान की उद्देश्यपरक व्याख्या 'लक्ष्य से प्रकाशित, यद्यपि शब्दों द्वारा निर्देशित' होनी चाहिए। [कांता गोयल बनाम बी.पी. पाठक, (1977) 2 एससीसी 814] अहरोन बराक का मत है कि कुछ परिस्थितियों में प्रयुक्त भाषा और शब्दों को 'असामान्य और अपवादात्मक अर्थ' देना भी आवश्यक हो सकता है। [अहरोन बराक, परपसिव इंटरप्रीटेशन इन लॉ, (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007), पृष्ठ 306.]”

25. यद्यपि उपर्युक्त निर्णय वैधानिक व्याख्या से संबंधित हैं, तथापि इस न्यायालय की सुविचारित राय में वे वर्तमान परिस्थितियों में भी लागू होंगे, विशेष रूप से दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश में उल्लिखित प्रक्रिया के संबंध में, क्योंकि उसमें उन पहलुओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु विचार करते समय ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जब किसी प्रक्रिया को बिना किसी अस्पष्टता के निर्धारित किया गया हो, तब उसमें उल्लिखित सभी शर्तों को प्रभावी उद्देश्य और अर्थ प्रदान करने के लिए बिना किसी विचलन के पूर्णतः उसका पालन किया जाना आवश्यक है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता निर्धारित करने के प्रयोजन से दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7) में उल्लिखित पहलुओं को प्रत्यर्थीगण द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक था। प्रत्यर्थीगण द्वारा ऐसी कार्यवाही न अपनाए जाने के कारण दिनांकित 27.02.2025 का आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि से दूषित हो जाता है और अतः उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट जारी करते हुए उसे निरस्त किया जाता है।

27. इसके अतिरिक्त परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाती है, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्ष 2021-22 से आगे के चयन वर्षों के लिए अधीक्षण अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के पद पर पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता के प्रकरण पर पुनर्विचार करे और इस पुनर्विचार के दौरान दिनांकित 27.09.2019 के शासनादेश के प्रस्तर 7(7) में उल्लिखित पहलुओं को ध्यान में रखे।

28. ऐसा पुनर्विचार संबंधित प्राधिकारी को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से किया जाएगा।

29. परिणामतः, याचिका सफल होती है और **स्वीकार** की जाती है। पक्षकार अपने-अपने वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

10 मार्च, 2026

के.वी.जी./